न्यायालयः तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बालाघाट, जिला-बालाघाट (म०प्र०) { पीठासीन अधिकारी : अपर्णा आर.शर्मा }

<u>व्यवहार वाद क्र. 112–ए/2017</u> <u>संस्थापन दि. 28.08.2017</u> फाईलिंग.नं. आर.सी.एस.ए/628/2017

// विरूद्ध 🎊

- 1. दमड़ी वल्द स्व. कोठिया कुतराहे, उम्र 61 साल,
- दिनेश पिता दमड़ी कुतराहे, उम्र 35 साल, दोनों जाति—लोधी, निवासी ग्राम कोल्हवा, पोस्ट बोदा, तहसील व जिला बालाघाट
- श्रीमती रामबतीबाई पति सुखलाल, उम्र 68 वर्ष,
 निवासी ग्राम चिखला, तहसील किरनापुर, बालाघाट,
- 4. श्रीमती यशवंतीबाई पति सालिकराम, उम्र 58 साल, जाति लोधी निवासी ग्राम बगदरा, थाना ग्रामीण—नवेगांव, तहसील व जिला बालाघाट,
- 5. सरपंच / सचिव, ग्राम पंचायत—पाथरवाड़ा, पोस्ट—बोदा, तहसील व जिला बालाघाट,
- 1. आवेदक / वादी द्वारा श्री एम.एल.अटराहे अधिवक्ता।
- 2. अनावेदकगण / प्रतिवादीगण कृं. 1 व 2 द्वारा श्री संजय अग्निहोत्री अधिवक्ता।
- 3. अनावेदकराण / प्रतिवादीगण कृं. ६ द्वारा श्री एम.एम.द्विवेदी शा. अधिवक्ता।
- 4. अनावेदकगण / प्रतिवादीगण कृं. 6 द्वारा श्री तिलक दशहरे अधिवक्ता।
- 5. अनावेदकगण / प्रतिवादीगण कृं. 5 पूर्व से एकपक्षीय।

// आदेश // { <u>आज दिनांक 11.01.2018 को पारित</u> }

- 1. इस आदेश द्वारा आवेदक / वादी की ओर से पेश आवेदन पत्र आदेश—39 नियम—1 व 2 तथा धारा—151 सी.पी.सी. आई.ए.नम्बर—1 का निराकरण किया जा रहा है।
- 2. आवेदक / वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन आई.ए.नम्बर—1 संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक / वादी, प्रतिवादी कं. 01 की सगी बहन है, इसी प्रकार वादी एवं प्रतिवादी कं. 1, 3, 4 भी आपस में सगे भाई—बहन है तथा प्रतिवादी कं. 2, प्रतिवादी कं. 1 का पुत्र है जो वादी एवं प्रतिवादी कं. 3 व 4 का सगा भतीजा है। वादी एवं प्रतिवादी कं. 01, 03, एवं 04 का पैतृक खानदानी कच्चा मकान

मौजा–कोल्हवा, प.ह.नं.12 तहसील व जिला बालाघाट में स्थित है, उक्त कच्चा मकान हाताबाड़ी ख.नं.—107/3 रकबा 0.05 डिस. भूमि पर स्थित है, जो वाद पत्र में विवादित भूमि एवं मकान के नाम से संबोधित है, उक्त भूमि पर स्थित विवादित कच्चा मकान अत्यधिक पुराना है। वादी एक परित्यक्ता निःसंतान, गरीब महिला होने के कारण वह करीबन 36 वर्षां से अपने माता-पिता के घर विवादित मकान में मकान के पीछे भाग में पलवा युक्त 'कच्चा टपरा'' में निवासरत है। वादी का उक्त रहवासी टपरा काफी पुराना होने, उसकी कच्ची मिट्टी की दीवार एवं बांस—बल्ली, सङ्डन पूर्णतः जर्जर, कमजोर हो चुक हैं, दीवारे केक हो चुकी है जो मानव निवास हेतु, अनुपयोगी हो गया है, जिसके कारणा वादी का वहां रहना बिल्कुल दूभर, मुश्किल हो चुका है। सबब वादी द्वारा उक्त टपरा को पक्का बनाने हेतू प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऋण राशि स्वीकृत कराने की कार्यवाही प्रतिवादी कं. 05 सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत पाथरवाड़ा में वर्ष 2016—17 में की गई थी, जिसके आधार पर प्रतिवादी कें. 5 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कार्यवाही कर वादीया को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शासकीय ऋण राशि एक लाख पचास हजार रूपये स्वीकृत कराई गई तथा उक्त स्वीकृत ऋण राशि में से पचास हजार रूपये प्रतिवादी क. 5 द्वारा वादी के बैंक खाते में सेंट्रल बैंक शाखा, खैरी बालाघाट में दिनांक 01.05.2017 को जमा भी कर दिया गया है तथा बकाया शेष रवीकृत ऋण राशि 1,10,000 / –रूपए निर्माण कार्य के समय या निर्माण कार्य के बाद प्रदाय की जावेगी।

आवेदक / वादी ने आगे यह अभिवचन किया है कि वादी द्वारा उपरोक्त स्वीकृत ऋण राशि एक लाख पचास हजार रूपये में से प्रथम किश्त चालीस हजार रूपये दिनांक 01.05.2017 को सेंट्रल बैंक शाखा, खैरी बालाघाट में वादी के बैंक खाते में जमा होने के बाद वादी द्वारा दिनांक 11.05.2015 को अपने रहवासी कब्जे मालकी के पलवे(शैंड) 'टपरा' पर स्थित बांस–बल्ली, कवेलू सड्डन आदि मरम्मत एवं पक्का निर्माण करने हेतु हटाने, उतारने का प्रयास कर रही थी, तब एकाएक प्रतिवादी के 1 एवं 02 वहां आकर वादी को गंदी-गंदी गाली गुलौच करने लगे तथा वादी को बांस बल्ली, कवेलू हटाने—उतारने से मना करने लगे तथा पक्का निर्माण करने से भी मना करने लगे तथा जान से मारने पीटने हाथ-पैर तोडने की धमकी देने लगा, जिसकी शिकायत वादी द्वारा दिनांक 11.05.2017 को पुलिस थाना भरवेली में की गई तथा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादी कुं. 1 से 6 को उक्ताशय हेत् दिनांक 08.06.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित कर वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया, जिसकी नोटिस की तामिली प्रतिवादी कं. 1 व 2 व अन्य प्रतिवादी को हो चुकी है। यदि वादी उक्त टपरा (पलवे के शैड) की मरम्मत, पक्का निर्माण ''उक्त स्वीकृत ऋण राशि की शासन की निर्धारित समयावधि'' में पूरा नहीं करने पर उक्त स्वीकृत ऋण राशि शासन को वापस हो जावेगी, जिससे वादी को भयंकर आर्थिक शारीरिक, मानसिक एवं गंभीर क्षति होगी तथा भयंकर आर्थिक बोझ बढ़ जावेगा, जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य में होना संभव नहीं है तथा उक्त निर्माण भविष्य में करना संभव नहीं रहेगा और ना ही वादी को भविष्य में बार-बार उक्त निर्माण कार्य हेत् प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऋण राशि स्वीकृत होगी, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी कं. 1 व 2 या उसके किसी एजेंट या परिवार के लोगों के द्वारा वादी के कब्जे व मालकी में कथित निर्माण कार्य में हस्तक्षेप करने, दखल देने से वाद के निराकरण तक अस्थाई व्यादेश द्वारा निषेधित किया जाना न्याय एवं साम्य की दृष्टि से न्यायसंगत होगा।

- 4. आवेदक / वादी ने आगे यह अभिवचन किया है कि वादग्रस्त सपंत्ति मकान हाथाबाड़ी वादी एवं प्रतिवादी कं. 01,03, व 04 का पैतृक खानदानी मकान है, जिसमें प्रतिवादी कं. 1 के अलावा वादी एवं प्रतिवादी कं 3 एवं 4 का कानूनी हक व हिस्सा मृतक माता—पिता के हिंदु उत्तराधिकार होने से निहित है, जिसके बारे में व्या.वाद कं. 10ए / 2005 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.11.2005 में उल्लेखित है। उपरोक्त कारणवश सुविधा संतुलन भी वादी के पक्ष में है। अतः अंतिम निराकरण तक अस्थाई व्यादेश के तहत उन्हें निषेधित किया जावे।
- 5. अनावेदकगण / प्रतिवादीगण कं. 1 व 2 की ओर से वादी / आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुए विशिष्ट कथन में यह अभिवचन किया है कि वादी प्रतिवादी कं. 1 की सगी बहन है तथा वादी के विवाह के समय ही उसके हिस्से की राशि उसे दे दी गई थी, तथा वादी द्वारा मौखिक रूप से कहा गया था कि वह प्रतिवादी कं. 1 से हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन वादी प्रतिवादी कं. 1 के विरोधी पक्ष से मिलकर वादी के द्वारा व्य.वाद.कं. 10ए / 05 रामबतीबाई, यशवतीबाई, खेलनबाई बनाम दमड़ीलाल व अन्य बटवारा, घोषणा एवं स्थाई निषधाज्ञ हेतु प्रस्तुत किया था, जिसमें तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बालाघाट द्वारा दिनांक 30.11.2005 निर्णय एवं डिक्री के आधार पर ग्राम कोल्हवा प.ह.नं.12 स्थित भूमि ख.नं. 74 / 1 रकबा 1.07 एवं ख.नं. 126 / 2 रकबा 2.02 एकड़ भूमि में से 31—31 डिस. भूमि बंटवारा देने के निर्णय एवं डिक्री दी गई जिसके आधार पर तीनों बहनों द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.11.2005 का पालन करते हुए राजस्व प्रलेखों में अपना—अपना नाम दर्ज करा लिया। इस प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी कं. 3 एवं 4 को उक्त निर्णय एवं डिक्री बंधनकारी है।
- अनावेदकगण / प्रतिवादीगण कृं. 1 व 2 ने आगे यह अभिवचन भी किया है कि वादी को उक्त निर्णय की संतुष्टि नहीं होने के आधार पर अपील एवं डिकी दिनांक 30.11.2005 की अपील करनी थी लेकिन वादी द्वारा अपील प्रस्तुत न कर पुनः दावा पूर्व वाद में की मांगनी इस दावे में की गई है। जिससे भी वादी का दावा आदेश 2 नियम 2 व्य.प्र.सं. एंव धारा 11 व्य.प्र.सं. के तहत प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्तनीय है। प्रतिवादी कं. 1 के पक्ष में प्रतिवादी कं. 3 एवं 4 वादी की मां विजयंताबाई द्वारा 03.04.2006 को ख.नं. 126/2 रकबा 11.25 एवं 107/3- 0. 05 कुल 1.30 एकड भूमि का मकान हाताबाड़ी सहित वसीयतनामा के आधार पर दिया गया है, जिसे भी वादी द्वारा जानते बुझते निरस्त करने का कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे भी दावा निरस्तनीय है। वादी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30. 11.2005 के निर्णय एवं डिकी के आधार पर हिस्सा प्राप्त करने के बाद पुनः बंटवारा का दावा नहीं कर सकती है, जो साम्य एवं न्याय की दृष्टि तथा विधि सिद्धांतों के विपरित होगा। वादी के पक्ष में सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दुष्टया वाद वादी के पक्ष में न होकर भी प्रतिवादी कं. 1 के पक्ष में है, जिससे भी वादी का आवेदन पत्र निरस्तनीय है। वादी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तो वादी की अपेक्षा प्रतिवादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई द्रव्य या अन्य साधनों के संभव नहीं होगी।
- 7. अनावेदकगण / प्रतिवादीगण कं.3 एवं 4 ने आवेदक / वादी के आवेदन पत्र पर कोई आपित्त न होकर आवेदन पत्र के सभी अभिवचनों को स्वीकार कर वादी के उक्त आवेदन को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।
- 8. विचारणीय प्रश्न निम्न हैं :-

- 1— क्या प्रथमदृष्टया मामला आवेदक / वादी के पक्ष में सुदृढ़ है ?
- 2- क्या सुविधा का संतुलन आवेदक / वादी के पक्ष में है ?
- 3— क्या आवेदक / वादी को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है ?

सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क. 1, 2, 3 के संबंध में:-

- सुविधा की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। आवेदक वादी ने यह आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि उसके द्वारा अनावेदकगण / प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया है कि वादी और प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई बहन है और पटवारी हल्का नं. 12 तहसील व जिला बालाघाट में खसरा नं. 107/3 रकबा 0.05 डिसमिल भूमि पर कच्चा मकान स्थित है जो कि उन सभी के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य का है। वादी एक परित्यक्ता, गरीब एवं नि:संतान महिला है जो कि पैंतीस वर्ष से कच्चा मकान बनाकर निवास कर रही है, उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख पचास हजार रूपये की राशि मकान निर्माण हेतु स्वीकृत हुई है किंतु प्रतिवादी उसे गाली गलौच करते है उसे बाधा पहुंचा रहे हैं, जबकि वादग्रस्त मकान एक पैत्रक मकान है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का हक निहित है और जिसके संबंध में व्यवहार वाद कं. 10ए/2005 में निर्णय एवं डिकी दिनांक 30.11.05 में उल्लेखित है। अतः प्रकरण के अंतिम निराकरण तक अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है, किंतु प्रतिवादी ने यह तो स्वीकार किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण आपस में भाई बहन हैं और यह अभिवचन किया है कि वादी ने व्यवहार वाद कं. 10ए / 05 बंटवारा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया था जिसमें निर्णय एवं डिकी दिनांक 30.11.05 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण ने राजस्व प्रेलेखों में अपना अपना दर्ज करा लिया है किंतु वादग्रस्त मकान के संबंध में वादी को कोई सहायता नहीं दी गई और ना ही वादी के द्वारा उसकी कोई अपील की गई है, उक्त वादग्रस्त मकान का वादी एवं प्रतिवादीगण की मां विजयंताबाई द्वारा 03.04.06 को एक वसीयतनामा प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया है। वादी पूर्व में भी बंटवारा का दावा प्रस्तुत कर चूंकि है अतः अब पुनः बंटवारे का दावा प्रस्तुत नहीं कर सकती है जो कि साम्य एवं न्याय की दृष्टि एवं विधिसिद्धांतों के विपरित होगा। प्रतिवादीगण ने वादी के आवेदन को विधिसंगत न होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।
- 10. वादी की ओर से व्यवहार वाद कं. 10ए / 05 के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि 30.11.05 प्रस्तुत की गई है, जिसका अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार वादी के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध बंटवारा बाबत् दावा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें न्यायालय ने वादी एवं प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि का पैत्रक होने के आधार पर उत्तराधिकारी मान्य करते हुए कृषि भूमि में बंटवारा स्वीकार किया, किंतु वादग्रस्त मकान में धारा 23 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम का हवाला देते हुए वादी को उसमें बंटवारा कराये जाने का अधिकार प्राप्त न होना बताया और यह भी उल्लेख किया कि यदि प्रतिवादीगण उसमें हस्तक्षेप कारित करते है तो वादी पृथक से दावा कर सकती है। चूंकि उक्त धारा विलोपित की जा चुकी है और वादी को वादग्रस्त मकान में बंटवारा कराये जाने का अधिकार प्राप्त हो चुका है और उसी के आधार पर उसके द्वारा यह दावा प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादीगण की ओर से यह आपित्त प्रस्तुत की गई है कि वादी ने उक्त निर्णय की अपील नहीं की, इसलिए उक्त निर्णय बंधनकारी है, उक्त निर्णय के अनुसार वादी को उत्तराधिकारी होना मानते हुए कृषि भूमि में हिस्सा प्रदान किया गया है और वादग्रस्त मकान में भी हिस्सेदार होना बताते हुए केवल विभाजन कराये जाने का अधिकार प्राप्त न होने के आधार पर बादग्रस्त मकान में उसका हिस्सा नहीं दिलाया गया है, उक्त निर्णय के अनुसार उसकी अपील वादी को न करते हुए प्रतिवादीगण के द्वारा की जानी चाहिए थी, क्योंकि उक्त न्यायालय ने वादी के पक्ष में दावा निराकृत किया था।

- 11. प्रतिवादीगण का यह अभिवचन है कि वर्ष 2006 में उनकी माता के द्वारा उक्त मकान का क्सीयतनामा उनके पक्ष में निष्पादित कर दिया गया है इसलिए वादी का अधिकार समाप्त हो चुका है जबिक इस संबंध में वादी की ओर से यह आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि वादग्रस्त भूमि पैत्रक संपत्ति है और वादी एवं प्रतिवादीगण को उसकी माता को उसकी वसीयत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अतः इस आधार पर प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि में वसीयतनामे के आधार पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। वसीयतनामा करने का अधिकार वादी एवं प्रतिवादीगण की माता को है या नहीं, इसका निराकरण उभय पक्ष की साक्ष्य आने के उपरांत ही किया जा सकेगा, किंतु इस स्टेज पर प्रतिवादीगण की और से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया कि वसीयतनामा वर्ष 2006 से वाद प्रस्तुति दिनांक लगभग दस—ग्यारह वर्ष में वसीयत के आधार पर वादग्रस्त मकान में प्रतिवादीगण का नाम शासकीय दस्तावेजों में दर्ज हुआ हो।
- 12. वर्तमान में वादग्रस्त मकान में वादी का स्वत्व उत्तराधिकारी होने के आधार पर दर्शित होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में दिखाई देता है तथा वादी ने शासकीय आवास योजना के अंतर्गत ऋण राशि प्राप्त होना बताया है और उसमें निर्माण कार्य किया जा रहा है। यदि समय पर उक्त राशि का उपयोग नहीं किया तो उक्त राशि शासन को वापस समाहित हो जावेगी, जिससे निश्चित रूप से वादी को अत्यधिक असुविधा और क्षति होना दर्शित हो रहा है।
- 13. अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों स्तंभ आवेदक / वादी के पक्ष में होने से आवेदक / वादी का उक्त आवेदन अंतर्गत आदेश—39 नियम 1 व 2 सी.पी. सी. आई.ए.नंबर—1 विधिसंगत होने से स्वीकार किया जाता है, तथा प्रतिवादीगण कं. 1 व 2 को निर्देशित किया जाता है कि वह वादी के उक्त निर्माण कार्य में प्रकरण के अंतिम निराकरण तक स्वयं या अपने किसी एजेंट के माध्यम से किसी भी प्रकार से दखल व हस्तक्षेप कारित नहीं करेंगे।
- 14. इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के अंतिम निराकरण पर नहीं पड़ेगा। आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व मेरे वक्तव्य पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

सही / —
(अपर्णा आर.शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1
बालाघाट (म.प्र.)

सही / —
(अपर्णा आर. शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1
बालाघाट (म.प्र.)